कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0 05963-220249वन मित्र काल सेंटर– 9208008000

पत्रांक 3198 / 21-2 बागेश्वर दिनांक 08/02 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत फरसाली पल्ली मोटर मार्ग से खर्ककानातोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.931 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–11292/2015)**

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/222/2015/एफ0सी0/717 दिनांक 24.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा जो आपत्ति का निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु स0 1	प्रमाण पत्र से यह सूचित किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है परन्तु उसकी प्रति इस कार्यालय में प्रेषित नहीं की गई है। अतः अनुरोध है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र के आरक्षित वन/संरक्षित वन होने की अधिसूचना की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें तथा उक्त भूमि को कार्य योजना में सम्मिलित करने की स्थिति की जानकारी इस कार्यालय में प्रेषित करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र वन भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा–4/20/29 के अन्तर्गत संरक्षित/आरक्षित वन क्षेत्र घोषित है। **(संलग्न)**
2	प्रस्तावित मार्ग की केएमएल के अवलोकन उपरान्त यह पाया गया है कि मार्ग के संरेखण का प्रारंभिक बिन्दु क्षेत्र में पूर्व से ही निर्मित मार्ग पर स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी की विस्तृत टिप्पणी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कष्ट करें।	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई कपकोट से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या मांगी जो उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी तथा इसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न है। उक्त प्रस्ताव की K.M.L File के टाइम लाईन का अवलोकन किया गया फरसाली पल्ली से खर्ककानातोली मोटर मार्ग हेतु प्रस्ताव वर्ष 2015 में ऑनलाईन अपलोड किया गया प्रस्ताव के अनुसार मार्ग की लम्बाई 11.62 कि0मी0 तथा प्रभावित वन भूमि 8.931 है0 में प्रस्ताव ऑनलाईन अपलोड है। तथा भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान किये जाने की अवधि में प्रस्तावित मार्ग के समीप ही लो0निर्माण विभाग कपकोट द्वारा भयूँ से गूलेर मोटर मार्ग नामक कुल 9.00 किमी0 लम्बाई में किया गया जिसकी पुष्टि गूगल अर्थ के टाइम लाइन से होता है। लोक निर्माण विभाग द्वार निमित मोटर मार्ग प्रस्तावित

Scanned with OKEN Scanner

		मोटर मार्ग के 4.80 किमी० पर संयोजित हो रहा था। तद्नुसार ग्रामीणों की आवश्यकता को दृष्टि करते हुए अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई कपकोट द्वारा प्रस्तावित मार्ग को फरसाली पल्ली से न कर भयूँ गूलेर से प्रारम्भ किया गया। प्रस्तावित मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु के परिवर्तन होने से मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 6.80 किमी० से निर्मित किया गया है। जिसके कारण प्रभावित वन भूमि प्रस्तावित वन भूमि से कम है तथा प्रारम्भिक बिन्दु के परिवर्तन से वन संरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द्र तिवाडी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

Scanned with OKEN Scanner